



भा.वा.अ.शि.प.—उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)  
डाकघर — आर०एफ०आर०सी०, मण्डला रोड, जबलपुर — 482 021  
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE  
(An Autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests &  
Climate Change, Govt. of India)  
P.O. — R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR — 482 021 (M.P)



क्रमांक 1-6-14/24/Estt./Assessment/..496

दिनांक 30-07-2025

**कार्यालय आदेश**  
**OFFICE ORDER**

परिषद के तकनीकी सेवा नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार और मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीशियन (Category-I), वेतन स्तर - 4 (7<sup>th</sup> CPC) को तकनीकी सहायक (Category-II), वेतन स्तर - 5 (7<sup>th</sup> CPC) पर उनके सामने दर्शाये गई तिथियों से पदोन्नति देने की मंजूरी प्रदान की जाती है -

In accordance with the provision of the Technical Service Rules 2013 of the Council and on the recommendation of the Assessment Committee, the competent authority of the Institute approves promotion of the following Senior Technician (Category-I), Pay Level – 4 (7th CPC) to Technical Assistant (Category-II), Pay Level – 5 (7th CPC) from the dates indicated against them –

क्रमांक/ Sl.No.	कर्मचारियों का नाम/ Name of Employees	पदोन्नति की तिथि/ Date of Promotion
1	श्री गणेश पवार/ Shri Ganesh Pawar	13/09/2024
2	श्री सुयश तिवारी/Shri Suyash Tiwari	12/09/2024
3	श्री त्रिलोक गुप्ता/Shri Trilok Gupta	22/12/2024
4	श्रीमती निकिता राय/Smt. Nikita Rai	27/10/2024
5	श्री मनोज कुमार पूसाम/Shri Manoj Kumar Poosam	09/10/2024
6	श्रीमती पूजा सिंह/Smt. Pooja Singh	21/10/2024

उक्त संबंध में यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि कर्मचारी के पास संबंधित ग्रेड के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं या वह किसी प्रशासनिक कारण से उस ग्रेड को धारण करने के योग्य नहीं है, तो उसे पात्र निचले ग्रेड में रखा जा सकता है और उसे कारण बताओ नोटिस देकर उससे आनुपातिक राशि की वसूली की जा सकती है।

If at any time it is found that the employee does not possess the requisite qualifications for the respective grade or is unable to do so, then the employee may be demoted to the post of Sr. Technician. If a person is not eligible to hold that grade due to administrative reasons, he may be placed in the eligible lower grade and proportionate amount may be recovered from him by serving a show cause notice.

वह आवश्यकतानुसार एफआर 22(1) ए (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिये अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

They may submit their option for fixation of pay under Rule FR 22(1)(a)(1) as required. Charge assumption report may be sent to this office for further necessary action.

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी गया है।  
This office order is issued after the approval of the competent authority.



उप वन संरक्षक (प्रशासन)  
Dy. Conservator of Forests (Admin)  
भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर  
ICFRE-TFRI, Jabalpur

प्रतिलिपि / Copy -

- 01-आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर।  
Drawing and Disbursing Officer, ICFRE-TFRI, Jabalpur.
- 02-निदेशक के वैयक्तिक सहायक, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर।  
P.S. to Director, ICFRE-TFRI, Jabalpur.
- 03-संबंधित को उनके प्रभागाध्यक्ष के माध्यम से/Concerned through their HoD.
- 04-गार्ड फाईल/Guard File.
- 05-सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती Service Book/personal file.